

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2011—आषाढ़ 30, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. 16953-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 21 जुलाई 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०११

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

वृहद् शीर्ष का
स्थापन.

२. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (क्रमांक १३ सन् १९९८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित वृहद् शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों में, जिनके अन्तर्गत स्थापत्य कला (आर्किटेक्चर), औषधनिर्माण विज्ञान (फार्मसी) आतिथ्य क्षेत्र (हास्पिटैलिटी सेक्टर), होटल प्रबन्धन तथा केटरिंग टेक्नालाजी, यात्रा और पर्यटन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य उपाधि तथा उपाधिपत्र स्तर के पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्थापित और निगमित करने और उससे सम्बद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम.”

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२ क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आतिथ्य क्षेत्र, होटल प्रबन्धन तथा केटरिंग टेक्नालाजी, यात्रा और पर्यटन, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य उपाधि तथा उपाधिपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा दे रहे, उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक या संस्था ऐसी तारीख से, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त समझे जाएंगे तथा परिनियमों अथवा विनियमों द्वारा विहित रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएंगे.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (क्रमांक १३ सन् १९९८) के वृहद् शीर्ष के अनुसार, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों में, जिनके अन्तर्गत उपाधि तथा उपाधिपत्र स्तर पर स्थापत्य कला तथा औषध निर्माण विज्ञान सम्मिलित हैं, व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया है, किन्तु आतिथ्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय जैसे होटल प्रबंधन तथा केटरिंग टेक्नोलॉजी, यात्रा और पर्यटन जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों की परिभाषा में आते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रयोजनों में सम्मिलित नहीं हैं.

२ राज्य सरकार, शासकीय पालीटेक्निकों में आतिथ्य क्षेत्र के अन्तर्गत उपाधिपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहती है और जिसके लिये उसे केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त हुई है और इसलिये, इन पाठ्यक्रमों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है.

३. भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अधिकारिता तथा व्याप्ति को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वे समस्त पाठ्यक्रम सम्मिलित किये जा सकें जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्र में आते हों. अतएव मूल अधिनियम के वृहद् शीर्ष तथा धारा ६ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १५ जुलाई, २०११.

लक्ष्मीकांत शर्मा

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”.

वित्तीय ज्ञापन

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर विद्यमान संस्था है परन्तु विश्वविद्यालय में पदस्थ शासकीय अमले के वेतन भत्ते आदि के लिये प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है. गतवर्ष अनुदान की राशि रुपये ४५ लाख थी जो कि विश्वविद्यालय की सकल आय रुपये ११७६१ लाख का एक अत्यंत ही नगण्य अंश है. इस प्रकार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शासन पर वित्तीय तौर पर निर्भर नहीं है.

२. प्रस्तावित विधेयक के द्वारा केवल विश्वविद्यालय के अधीन आतिथ्य क्षेत्र, होटल प्रबंधन तथा केटरिंग टेक्नालॉजी, यात्रा और पर्यटन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य उपाधि या उपाधि पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहे महाविद्यालय या पोलिटेक्निक या संस्थाओं को सहयुक्त करने का प्रावधान किया जा रहा है जिससे राज्य की संचित निधि पर कोई व्यय अपेक्षित नहीं है.

३. भविष्य में यदि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के व्यय को राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने की परिस्थिति निर्मित होती है तो वेतन, भत्तों आदि पर राज्य शासन की संचित निधि पर आवर्ती व्यय के रूप में अनुमानित रुपये ४७२४ लाख (रुपये चार हजार सात सौ चौबीस लाख) एवं अनावर्ती व्यय के रूप में रुपये ११५०५ लाख (रुपये ग्यारह हजार पांच सौ पांच लाख) का संभावित वित्तीय भार आएगा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक २०११ के खण्ड ३ के अधीन आतिथ्य क्षेत्र, होटल प्रबंधन तथा केटरिंग टेक्नालॉजी, यात्रा और पर्यटन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य उपाधि या उपाधिपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहे महाविद्यालय या पोलिटेक्निक या संस्थाओं को सहयुक्त करने संबंधी प्रक्रिया के संबंध में परिनियम अथवा विनियम बनाये जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.